

204

Dr. B. S. / 2

श्री

अपील नं. -----

-अपील अन्तर्गत धारा 47 क: उपधारा 5 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम

A 1016- II / 2004

न्यायालय श्रीमान मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियार

RL-1481
18/8/04

उप पंजीयक रतलाम

राजस्व मण्डल द्वारा अर्जित कर का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
राजस्व मण्डल द्वारा अर्जित कर का प्रमाण प्राप्त

अपीलांत

विरुद्ध

ऑफिस कोर्ट द्वारा अर्जित कर का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
म.प्र.शासक द्वारा अपर आयुक्त महोदय,
उपपैन संभाग, उज्जैन

रेस्यन्डेन्ट

-अपील-

RL-1481
क्रमांक
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिलीक 18/8/04 को प्राप्त



अध्यक्ष महोदय,

उत्तर ऑफिस कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियार

1. अपीलार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय तथा पता :-
उप पंजीयक रतलाम
2. लिखतम निष्पादन करने वाले का नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय तथा पता:-
1. सुशीलाबाई पति स्व. भूपेन्द्रनाथजी मेहता, निवासी 15 न्यु क्लॉथ मार्केट, रतलाम
2. अक्षयकुमार पिता स्व. भूपेन्द्रनाथजी मेहता, निवासी 15 न्यु क्लॉथ मार्केट, रतलाम
3. संजयकुमार पिता स्व. भूपेन्द्रनाथजी मेहता, निवासी 15 न्यु क्लॉथ मार्केट, रतलाम
3. लिखित के अधिन दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पुरा नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय तथा पता :-
1. श्रीमती कमलदेवी पति शान्तिलालजी गांधी, निवासी 10 हाटीराम दरवाजा, रतलाम
2. श्रीमती शर्मिला पति अन्तिमकुमारजी गांधी, निवासी 10 हाटीराम दरवाजा, रतलाम
3. श्रीमती स्नेहलता पति कमलकुमारजी गांधी, निवासी 10 हाटीराम दरवाजा, रतलाम
4. लिखित की तारीख तथा उसका प्रकार :-
विक्रय पत्र, दिनांक 22.02.2003

Handwritten signature or mark at the bottom of the page.

5. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, रजिस्ट्रीकरण की तारीख तथा उस कार्यालय का नाम, जहाँ लिखित का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो :-
क्रमांक अपंजीकृत, दिनांक 22.02.2003 उप पंजीयक कार्यालय रतलाम.
6. सेहसील तथा रजिस्ट्रीकरण उन जिलो के नाम सहित उस नगर या ग्राम का नाम जहाँ संपत्ति स्थित है :-
न्यु क्लॉथ मार्केट रतलाम स्थित मकान
7. कलेक्टर के उस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, क्रमांक तथा तारीख अपीलेंट अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन का प्रकरण क्रमांक 347/2002-2003 अपील, दिनांक 20.01.2004
8. संपत्ति का बाजार मूल्य जैसा कि वह लिखित में उल्लेखित किया गया है:-
रूपये 9,25,000/- :नौ लाख पंच्चीस हजार रूपये:
9. संपत्ति का बाजार मूल्य जैसा कि कलेक्टर द्वारा अवधारित किया गया है:-
उपरोक्त चरण आठ में वर्णित मूल्य रूपये 9,25,000/- के बजाय माननीय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प द्वारा रूपये 11,79,000/- मानकर अवधारण किया है ।
10. अपील अवधि में होने का कारण :-
माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा याने अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा आदेश दिनांक 20.01.2004 को पारित किया, जिसमें अपील करने हेतु माननीय जिला पंजीयक माधोपम रतलाम द्वारा उनके पत्र क्रमांक 521/जि.पं./04, दिनांक 16.04.2004 द्वारा अपीलांट को अपील करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये ।
11. अपील के साथ :-
 1. आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी ।
 2. जिला पंजीयक महोदय का पत्र क्रमांक 521/जि.पं./04, दिनांक 16.04.2004
12. अपील के आधारों का ज्ञापन :-

अपील निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

1. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकित 20.01.2004 त्रुटि पूर्ण होकर विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।
2. यह कि अपीलांट ने नगर रतलाम मोहल्ला न्यु क्लॉथ मार्केट स्थित मकान में का एक हिस्सा मकान कय किया है, जिसका मूल्यांकन दस्तावेज में रूपये 9,25,000/- :नौ लाख पंच्चीस हजार: बताया गया है, जो मूल्यांकन गाईड लाईन अनुसार कम प्रतीत होने पर

204

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

163

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-1016-दो/2004

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पंजीकृत आदेशिका आदि. प्र. अ. 1016/2004
30-08-2019	<p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजीकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 03-06-2010 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p>(महेश चंद्र चौधरी) सदस्य</p>	